रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939
No. 598] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 832(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (सातवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में--

(i) नियम 19 के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

''**19क. अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, प्राधिकार या अनुमोदन पत्र पर निर्बंधनः-** (1) महानिदेशक, किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, प्राधिकार या अनुमोदन पत्र पर निर्बंधन जिसे उचित समझे, लगा सकेंगे,-

(क) उक्त अनुज्ञुप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकर या अनुमोदन पत्र पर लगाई गई किसी शर्त का अनुपालन न होने की दशा में;

(ख) निरीक्षण के दौरान यदि कोई सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हुई है जिसका समाधान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक अवधि में नहीं किया जा सका है।

(2) निरीक्षण के दौरान महानिदेशक किसी व्यक्ति को उसकी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकेंगे यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने का पर्याप्त आधार है और ऐसे निदेश का

अगले कार्य दिवस को तत्संबंधी कारणों सहित लिखित रूप में लेखबद्ध कर सकेंगे और इस निमित्त महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को उसके विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए आगे की कार्रवाई की सकेगी।

(ii) नियम 21 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थातः-

''**21 क, साधारण सुरक्षा,-**कोई व्यक्ति, किसी रीति में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे,-

(क) किसी वायुयान या वायुयान प्रचालन की सुरक्षा और संरक्षा जोखिम में पड़ती हो;

(ख) वायुयान के सुरक्षित और संरक्षित प्रचालन के लिए स्थापित किसी अवसंरचना के प्रसामान्य कार्यकरण में हस्तक्षेप हो; या

(ग) वायुयान के सुरक्षित और संरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के कार्यकरण में बाधा पहुंचती हो या उसका ध्यान भंग होता है।

21ख वायुयान करस्थम- (1) महानिदेशक उक्त अभिसमय के उपाबद्ध 12 के अनुसार वायुयान करस्थम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु ऐसी अपेक्षाएं जारी कर सकेंगे जिनका अनुपालन संबंधित व्यक्तियों को करना होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;"

(iii) नियम 45 में, "नियम 19" शब्द और अंकों के स्थान पर "नियम 19 और नियम 19 क" शब्दों, अंकों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(iv) नियम 61 में,-

(क) उप-नियम 5 के खंड (घ) के पहले परन्तुक में, " इंजीनियरी डिग्री" शब्दों के स्थान पर "वायुयान अनुरक्षण डिग्री या इंजीनियरी डिग्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम 11के खंड (ख) में "अनुमोदन या सक्षमता प्रमाण पत्र" शब्दों का लोप किया जाए;

(v) नियम 61 क में, "नियम 61 के नियम 19 और उप-नियम (14)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर नियम 61 के नियम 19, नियम 19क और उप-नियम (15) शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(vi) नियम 133 क में,-

(क) उप-नियम (2) के परन्तुक में, "सुझाव" शब्द के पश्चात, "या ऐसे आक्षेप और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अवधि कम करने" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"(4) महानिदेशक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियम के अधीन नागर विमानन अपेक्षा शीर्षक प्रकाशन में दिए गए निर्देशों के प्रचालन से पूर्णतः या आंशिक रूप से, ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के अधीन रहते हुए छूट दे सकेंगे";

(vii) नियम 133ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

''**133 ख क विदेशी अनुमोदित संगठन का स्वीकृत किया जाना – (1)** नियम 133 ख में निहित किसी बात के होते हुए, महानिदेशक, वायुयान इंजन और उसके संघटकों के अनुरक्षण या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशी अनुमोदित संगठन जो इस निमित्त महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है को स्वीकृति दे सकेंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई स्वीकृति, जब तक कि वह निलंबित या रद्द न कर दी जाए, तब तक दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य बनी रहेगी और इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर, महानिदेशक उस समय दो वर्ष की और अनधिक अवधि के लिए अनुमोदन का नवीकरण कर सकेंगे।

(3) किसी नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे, किसी स्वीकृति को रद्द, निलंबित या पृष्ठांकित कर सकेंगे या किसी संगठन को चेतावनी दे सकेंगे या उसकी भर्त्सना कर सकेंगे, जब उनका समाधान हो जाता है किः-

(क) महानिदेशक द्वारा अनुबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) संगठन ने ऐसा कोई काम किया है या कोई प्रमाण पत्र ऐसे काम के बारे में दिया गया है जो सावधानी से या सक्षम रीति से संपादित नहीं किया गया है, या वह काम उसके विस्तार से बाहर किया गया है या उसके प्रमाण पत्र में सम्यक प्रविष्टियां नहीं की गई है या किसी अन्य कारण जिसे महानिदेशक ऐसा करना पर्याप्त समझे, इसे नियम के अधीन दी गई स्वीकृति को रद्द निलंबित या पृष्ठांकित कर सकेंगे या कोई चेतावनी दे सकेंगे या भर्त्सना कर सकेंगे"।

(ग) नियम 133 ग में,-

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-
"(2) नियम 133ख के अधीन अनुमोदन या अनुमोदन के विस्तार या नियम 133ख क के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति/स्वीकृति/संशोधन के लिए फीस उप-नियम (1) के अधीन संदेय फीस का पचास प्रतिशत होगी; "

(ख) उप-नियम (2क) में, "दो लाख पचास हजार रूपये" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार रूपये या प्रतिदिन सहित यात्रा की लागत" जो अधिक हो, शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ग) उप-नियम (2क) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-
"(2ख) दो लाख पचास हजार रूपये या प्रतिदिन सहित यात्रा की लागत की अतिरिक्त राशि जो भी अधिक हो, का संदाय तब किया जाए जब अनुमोदन की स्वीकृति बाबत नियम 133खक के अधीन निरीक्षण ऑडिट या निगरानी भारत से बाहर किसी स्थान पर की जानी अपेक्षित है।"

(घ) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-
"(4) फीस का संदाय महानिदेशक द्वारा विहित और अवधारित रीति में किया जाए; "

(ix) नियम 156 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"156, निरीक्षण,- (1) महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन अनुमोदन या प्रमाण पत्र देने के प्रयोजन के लिए किसी वायुयान या विमानन प्रसुविधा का निरीक्षण करने और तत्पश्चात इन नियमों के प्रवर्तन का सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अघोषित निरीक्षण सहित निगरानी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

(2) महानिदेशक, इन नियमों या वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र या अनुमोदन प्रदान करने के लिए, किसी व्यक्ति या वायुयान या दस्तावेज या विमानन प्रसुविधा की जांच, निरीक्षण तथा परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन प्राधिकृत कर सकेंगे। और ऐसे प्राधिकार में उस व्यक्ति के कृत्यों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसे निष्पादन करने के लिए वह महानिदेशक को और से प्राधिकृत है और प्राधिकार में उसकी अवधि विनिर्दिष्ट होगी।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन ऐसे प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्यय पत्र जारी किया जाए और उस प्राधिकार में उन्हें ऐसे कृत्य सोंपें जाए जिनका निष्पादन वे करेंगे।

(4) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में उल्लिखित वह महानिदेशक या व्यक्ति है जिसके पासः-

(क) इन नियमों के अधीन अपने दायित्वों और कृत्यों के निष्पादन के लिए यथा लागू वायुयान और विमानन प्रसुविधाओं तक अनिर्बंधित और असीमित पहुंच हो;

(ख) विमान दिक्चालन सेवा सहित किसी वायुयान या किसी विमानन प्रसुविधा में प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण या तलाशी कर सकेगा, और इन नियमों या वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के उपबंधों के किसी का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी कार्मिक के दस्तावेज और अभिलेख का भी निरीक्षण कर सकेगा।

(5) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में उल्लिखित महानिदेशक या व्यक्ति वायुयान के स्वामी या प्रचालक संगठन को या विमान दिक्चालन प्रसुविधा तक जाने, उपकरण, अभिलेख दस्तावेज और कार्मिक सहित वायुयान के किसी भाग, संगठन या दिक्चालन प्रसुविधा तक पहुंचने तक अनुमति देगा और उप-नियम (i) और (2) में उल्लिखित क्रियाकलापों के संचालित करने में सहयोग देगा"।

[फा.सं. एवी-11012/1/2017-ए (MoCA-119551)]

उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः

1. मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 को अधिसूचना सं.वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए और अंतिम संशोधन तारीख 29 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 23 जून, 2017 की सा.का.नि. 721(अ) द्वारा किया गया।
2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) को धारा 14 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्दीय सरकार नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 29 जून, 2017 के आदेश संख्या एवी-11012/1/2017-ए द्वारा जारी इस अधिसूचना की दशा में लोकहित में पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त से छूट प्रदान कर दी।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, 30th June, 2017

G. S. R. 832.(E).─ In exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Seventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, —

(i) after rule 19, the following rule shall be inserted, namely:—

"**19A. Restrictions on licence, certificate, authorisation or approval. –** (1) The Director-General may impose restrictions, as deemed fit, on any licence, certificate, authorisation or approval, —

(a) in the event of non-compliance with any condition imposed on the said licence, certificate, authorisation or approval;

(b) if any safety concern that emerged during an inspection has remained unresolved beyond the period specified by the Director-General.

(2) The Director-General may, during an inspection, direct any person not to exercise privileges of his licence or certificate if he is satisfied that there is sufficient ground for so doing and such direction shall be reduced in writing on the next working day along with reasons thereof, and further action for allowing the person concerned to exercise his privileges shall be taken thereafter in accordance with the process specified by the Director-General in this behalf.";

(ii) after rule 21, the following rules shall be inserted, namely:-

"**21A. General safety. –** No person shall, act in any manner, either directly or indirectly, so as to –

(a) endanger safety and security of an aircraft or aircraft operation;

(b) cause interference with the normal functioning of any facility established for the safe and secure operation of aircraft; or

(c) obstruct or distract the functioning of any person entrusted with any responsibility towards ensuring safe and secure operation of aircraft.

21B. Aircraft in distress. – (1) The Director-General may issue requirements to be followed by concerned persons for providing assistance to aircraft in distress in accordance with Annex 12 to the Convention.

(2) Every person shall comply with the requirements issued by the Director-General under sub-rule (1).";

(iii) in rule 45, for the word and figures "rule 19", the words, figures and letter "rules 19 and 19A" shall be substituted;

(iv) in rule 61,—

(a) in the first proviso to clause (d) of sub-rule 5, for the words "Degree in Engineering", the words, "Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering " shall be substituted;

(b) in clause (b) of sub-rule (11), the words "approval or certificate of competency" shall be omitted;

(v) in rule 61A, for the words, figures and brackets "rule 19 and sub-rule (14) of rule 61", the words, figures, letter and brackets "rule 19, rule 19A and sub-rule(15) of rule 61" shall be substituted;

(vi) in rule 133A,—

(a) in the proviso to sub-rule (2), after the word "suggestions", the words "or reduce the period for submitting such objections and suggestions" shall be inserted;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) The Director-General may, by general or special order in writing, exempt any aircraft or class of aircraft or any person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled 'Civil Aviation Requirements' under this rule, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.";

(vii) after rule 133B, the following rule shall be inserted, namely:—

"**133BA. Acceptance of foreign approved organisation. –** (1) Notwithstanding anything contained in rule 133B, the Director-General may accept a foreign approved organisation for the purpose of maintenance of aircraft, engine and components or training in accordance with the requirements specified by the Director-General in this behalf.

(2) The acceptance granted under sub-rule (1), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.

(3) Without prejudice to the provisions of these rules, the Director-General may, after making such enquiry as he may deem fit, and after giving a show cause notice to the organisation referred to in sub-rule (1), cancel, suspend or endorse any acceptance or issue a warning or an admonition to the said organisation, where he is satisfied that –

(a) the requirements stipulated by the Director-General are not being complied with; or

(b) the organisation has not performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful or competent manner or has performed work beyond the scope of its acceptance or failed to make proper entries and certification thereof or for any other reason considered by the Director-General as sufficient to cancel, suspend or endorse an acceptance granted under this rule, or to issue a warning or an admonition.";

(viii) in rule 133C,—

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The fee for renewal or extension of scope of approval under rule 133B or acceptance of approval or extension of acceptance under rule 133BA shall be fifty per cent. of the fee payable under sub-rule (1).";

(b) in sub-rule (2A), for the words, "two lakh fifty thousand rupees", the words, "two lakh fifty thousand rupees or cost of travel including per diem, whichever is higher" shall be substituted;

(c) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2B) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or cost of travel including per diem, whichever is higher, shall be payable if inspection, audit or surveillance in respect of acceptance of approval or extension of acceptance under rule 133BA is required to be carried out at any place outside India.";

(d) for sub- rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The fee shall be paid in the manner specified by the Director-General.";

(ix) for rule 156, the following rule shall be substituted, namely:-

"**156. Inspection.–** (1) The Director-General, or any officer of the Directorate General of Civil Aviation authorised by him by general or special order in writing, may inspect an aircraft or aviation facility for the purpose of granting an approval or a certificate under these rules, and subsequently to carry out surveillance including unannounced inspections to ensure continued compliance with these rules.

(2) The Director-General may authorise any person, subject to such conditions as may be specified by the Director-General, for the purpose of examining, and testing any person or aircraft or inspecting any document or

aviation facility for the purpose of grant of a licence or a certificate or an approval under these rules or the provisions of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and such authorisation shall specify the functions of the person so authorised to perform on behalf of the Director-General and the said authorisation shall be for a period as specified therein.

(3) The persons so authorised under sub-rules (1) and (2) shall be issued credentials and shall perform the functions as assigned to them in the authorisation.

(4) The Director-General or the person referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) –

(a) shall have unrestricted and unlimited access to aircraft and aviation facilities, as applicable, for the performance of their functions and duties under these rules;

(b) may enter, inspect and search any aircraft or any aviation facility, including air navigation services, and also interact with any personnel, and inspect documents and records for the purpose of securing compliance with these rules and the provisions of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).

(5)The owner or operator of aircraft, organisation or air navigation facility shall allow the Director-General, or the person referred to in sub-rules (1) and (2), access to any part of the aircraft, organisation or air navigation facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in conducting the activities referred in sub-rules (1) and (2).".

[F. No. AV-11012/1/2017-A (MoCA-119551)]

UPMA SRIVASTAVA Jt. Secy.

Note: 1. The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* number G.S.R. 721(E), dated the 23rd June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th June, 2017.

2. The Central Government in exercise of the powers conferred by proviso to Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification *vide* its Order No. AV-11012/1/2017-A dated 29th June, 2017 issued in Ministry of Civil Aviation.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.10 11:31:32 +05'30'